

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त विनोद राणा प्राडक्शन वारंट के पालन में उपजेल गोहद से पेश, सहित श्री के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

इसी प्रकम पर आवेदक/फरियादी ब्रजकिशोर पुत्र कौशल किशोर एवं रमाकान्त पुत्र पंतगीलाल स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है पक्षकारों के मध्य आपसी पृकृति का विवाद है प्रकरण में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष को समझाइश दी गई।

प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही हेतु तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण गोहद को रैफर किया जा रहा है।

रैफरल ऑर्डर जारी हो।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु कुछ देर पश्चात प्रस्तुत हो।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी.,गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत उपस्थित।

प्रशिक्षित मीडिएटर से मीडिएशन सफल होने की रिपोर्ट प्राप्त।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक ब्रजकिशोर पुत्र कौशल किशोर एवं रमाकान्त पुत्र पंतगीलाल, निवासीगण :- वार्ड क्रमांक 17 झॉसी मौहल्ला भिण्ड, जिला-भिण्ड स्वयं उपस्थित। फरियादी की पहचान उनके आधार-कार्ड पत्र से भी हो रही है। अभिलेख के आधार पर भी पहचान के संबंध फरियादीगण से पूछताछ की गई, जिससे न्यायालय उनकी पहचान के संबंध में संतुष्ट है।

फरियादी/आवेदक ने उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदकगण ब्रजकिशोर अभियोजित अपराध की धारा 379 भा.द.सं. का न्यायालय की अनुमति से शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया

बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के प्रॉडक्शन वारण्ट पर यह टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है, अन्य प्रकरण में आवश्यकता ना होने पर उसे अविलम्ब मुक्त किया जाये।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक यू. पी.75/ई/8803 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी रमाकान्त पुत्र पंतगीलाल के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद